रजिस्ट्री सं डी- (डी)-71 REGISTERED No. D-(D)-71

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 164] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 1977/चैत्र 11, 1899
No 164] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 1977/CHAITRA 11, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st April 1977

S.O. 288(E)—Whereas the Central Government has, in exercise of the powers conferred by section 9 of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955), constituted, by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No S O 809, dated the 6th February, 1976, a Wage Board for the purpose of fixing or revising the rates of wages in respect of working journalists;

And whereas the said Board continues to function,

And whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to fix interim rates of wages in respect of working journalists,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the said Act, the Central Government, after consultation with the Board, hereby fixes the interim rates of wages in respect of working journalists as set out in the Schedule hereto annexed.

THE SCHEDULE

1. The interim rates of wages payable in respect of working journalists (not being part-time correspondents of newspapers or news agencies) employed as

such in, or in relation to, the classes of newspaper establishments, specified in column (1) of the Table below, shall be the existing rates of wages increased by ad hoc payment of the amounts specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table.

THE TABLE

Classes of newspaper establishments	Amount of increase per month
(1)	(2)
	Rs. Ps
Classes of newspapers and news agencies.	
I to IV	131·00
V	104·00
VI	91·00
VII	85·00
Classes of weeklies and other periodicals	
I and II	131·00
III	104·00
IV	91·00
V and VI	95·00

Explanation 1.—The expression "existing rates of wages" means basic wages and dearness allowance payable to working journalists in terms of the recommendations made in Chapter IV of the report of the Wage Board for Working Journalists constituted by the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O 3202, dated the 12th November, 1963 (hereinafter referred to as the former Wage Board), read with the Order thereon made by the Central Government No S.O. 3883, dated the 27th October, 1967, subject to modifications, if any, made in terms of the judgment of any court or the award of any Tribunal.

Explanation 2.—The classification of daily newspapers, news agencies weeklies and other periodicals shall be as recommended by the former Wage Board subject to modifications, if any, made by the judgment of any Court or the award of any Tribunal.

2. The interim rates of wages in respect of part-time correspondents of the classes of newspapers and news agencies, specified in column (1) of the Table below, shall be the retainer payable to them in terms of Chapter IV of the report of the former Wage Board, read with the order thereon made by the Central Government No S.O 3883, dated the 27th October, 1967, increased for the areas specified in columns (2), (3) and (4) of that Table, by ad hoc payment of the amounts specified in the corresponding entries in said columns (2), (3) and (4).

Provided that in addition to such interim rates of wages, such part-time correspondents shall be entitled to such other amounts as are payable to them in terms of the said report of the former Wage Board read with the said order of the Central Government thereon

THE TABLE

Classes of newspapers and news agencies	Amount of increase per month		
	Area I	Area II	Area III
(1)	(2)	(3)	(4)
	Rs.	Rs.	Rs.
I to IV	50·00	40·00	30·00
V to VII	40·00	30·00	20·00

Explanation.—The classification of areas shall be as recommended by the former Wage Board.

3. Notwithstanding anything contained in paragraphs 1 and 2, or the report of the former Wage Board, or the order thereon made by the Central Government No S O 3883, dated the 27th October, 1967, the news agency known by the name and title "Samachar" shall be deemed to be a news agency of Class I and the said news agency shall pay in respect of working journalists employed as such in, or in relation to it interim rates of wages payable by a news agency of Class I under the said paragraphs

4. Where any newspaper establishment has, either as a result of negotiations with its employees or otherwise, agreed to pay interim relief to working journalists employed as such in, or in relation to, such newspaper establishment, and such interim relief is related to the basic wages or to the dearness allowance, it shall be permissible, in relation to any period after the publication of this notificaton in the official gazette to adjust the amount of such relief against the increases in the rates of wages made under paragraphs 1 and 2

Provided that where the interim relief agreed to be paid by any newspaper establishment, in respect of any working journalists, is in excess of the increase in the rates of wages made by paragraphs 1 and 2, such interim relief agreed to by the newspaper establishment shall be paid in respect of such working journalist and the working journalist concerned shall not be entitled to the increase in rates of wages made by paragraph 1 or paragraph 2, as the case may be

[No F. V-24040/9/75-WB].

श्रम मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 अप्रैल 1977

का० आ० 288(अ) —केन्द्रीय सरकार ने, श्रम जीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार से श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 809 तारीख 6 फरवरी, 1976 द्वारा श्रम जीवी पत्रकारों के लिए मजदूरी की दरों को नियत करने या पुनरीक्षित करने के प्रयोजनार्थ एक मजदूरी बोर्ड का गठन किया है ;

और उक्त बोर्ड बराबर अपना कार्य कर रहा है ,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजदूरी की अन्तरिम दरें निश्चित करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, श्रमजीवी पत्रकारो के लिए मजदूरी की अन्तरिम दरें, जैसी कि वे यहां उपाबन्ध अनुसुची में दी गई हैं, नियत करती है ।

अनुसूची

ऐसे श्रमजीवी पत्रकारों के लिए (जो समाचारपत्रों या समाचार अभिकरणों के अंशकालिक संवाददाता नही है), जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वर्गों के समाचारपत्र स्थापनों में, या उनके संबंध में, उस हैसियत में नियोजित हैं, संदेय मजदूरी की अन्तरिम दरें, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट वृद्धि की रकमों के तदर्थ सन्दायों सहित, मजदूरी की विद्यमान दरें होंगी ।

सारणी

समाचारपत्र स्थापन के वर्ग	प्रतिमास वृद्धि की दर
(1)	(2)
	रु० पै०
दैनिक समाचार पत्रों और समाचार अभिकरणों के वर्ग	
1 से 4 तक	131.00
5	104.00
6	91 00
7	85 00
साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाओं और अन्य पत्र-पत्रिकाओं के वर्ग	
1 और 2	131.00
3	104.00
4	91.00
5 और 6	85.00

स्पष्टीकरण 1—"मजदूरी की विद्यमान दर" पद से ऐसी आधारिक मजदूरी और महगाई भत्ता अभिप्रेत है, जो श्रमजीवी पत्रकारो पत्र को, श्रमजीवी पत्रकारो के लिए भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और नियोजन मत्रालय की अधिसूचना सख्या का०आ० 3292, तारीख 12 नवम्बर, 1963 के अधीन गठित मजदूरी बोर्ड की (जिसे इसमे इस के पश्चात पहले का मजदूरी बोर्ड कहा गया है) रिपोर्ट पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आदेश स० का० आ० 3883, तारीख 27 अक्तूबर, 1967 के साथ पठित उस रिपोर्ट के अध्याय 4 मे दी गई सिफारिशों के अनुसार, किन्तु किसी न्यायालय के निर्णय या किसी अधिकरण के पचाट के अनुसार किए गए उपान्तरणो के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए सदेय होगा ।

स्पष्टीकरण 2—दैनिक समाचारपत्रो, समाचार अभिकरणो, साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाओ तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओ का वर्गीकरण वह होगा जिसकी सिफारिश पहले के मजदूरी बोर्ड ने की है किन्तु वह किसी न्यायालय के निर्णय या किसी अधिकरण के पचाट द्वारा किए गए उपान्तरणों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए होगा ।

2. नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वर्ग के समाचारपत्रो और समाचार अभिकरणों के अंशकालिक सवाददाताओ के लिए मजदूरी की अन्तरिम दरें, पहले के मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट पर किए गए केन्द्रीय सरकार के आदेश सख्या का० आ० 3883, तारीख 27 अक्तूबर, 1967 के साथ पठित, उस रिपोर्ट के अध्याय 4 के अनुसार, उन्हे सन्देय प्रतिधारण-शुल्क (रिटेनर), उस सारणी के स्तभ (2), (3) और (4) मे विनिर्दिष्ट क्षेत्रो के लिए उतनी रकमो के तदर्थ संदाय की वृद्धि सहित, होगी, जितनी उक्त स्तभ (2), (3) और (4) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु मजदूरी की उक्त अन्तरिम दरो के अतिरिक्त ऐसे अशकालिक सवाददाता ऐसी अन्य रकमे पाने के हकदार होगे जो पहले के मजदूरी बोर्ड की उक्त रिपोर्ट पर केन्द्रीय सरकार के उक्त आदेश के साथ पठित उस रिपोर्ट के अनुसार उन्हें सन्देय है ।

सारणी

समाचार पत्रों और समाचार अभिकरणों के वर्ग	प्रति मास वृद्धि की रकम		
	क्षेत्र 1	क्षेत्र 2	क्षेत्र 3
(1)	(2)	(3)	(4)
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
1 से 4 तक	50 00	40 00	30.00
5 से 7 तक	40.00	30.00	20.00

स्पष्टीकरण—क्षेत्रों का वर्गीकरण वह होगा जिसकी पहले के मजदूरी बोर्ड ने सिफारिश की है।

3. पैरा 1 और 2 में, या पहले के मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट में, या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस पर किए गए आदेश स० का० आ० 3883, तारीख 27 अक्तूबर, 1967 में किसी बात के होते हुए भी, "समाचार" के नाम और शीर्ष से ज्ञात समाचार अभिकरण वर्ग I का समाचार अभिकरण समझा जाएगा और उक्त समाचार अभिकरण ऐसे श्रमजीवी पत्रकारों के लिए जो उसमें, अथवा उसके सबध में, नियोजित है, उक्त पैरों के अधीन वर्ग 1 के किसी समाचार अभिकरण द्वारा सदेय मजदूरी की अन्तरिम दरों पर सदाय करेगा ।

4. जहा कोई समाचारपत्र स्थापन, या तो अपने कर्मचारियों से हुई बातचीत के परिणामस्वरूप या अ यथा, ऐसे श्रमजीवी पत्रकारों का, जो उस समाचारपत्र स्थापन मे, या उसके सबध में, उस रूप मे नियोजित है, अतरिम अनुतोष देने के लिए सहमत हो गया है, और ऐसे अनुतोष का संबध आधारिक मजदूरी या मंहगाई भत्ते मे है वहा, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् की किसी अवधि के संबध मे, ऐसे अनुतोष की रकम को पैरा 1 और 2 में की गई मजदूरी की दरो में वृद्धियों के विरुद्ध समायोजित कर लेना अनुज्ञेय होगा

परन्तु जहा किसी श्रमजीवी पत्रकार के लिए कोई अन्तरिम अनुतोष, जिसे देने के लिए कोई समाचारपत्र स्थापन सहमत हो गया है, पैरा 1 और 2 मे की गई मजदूरी की दरों म वृद्धि से अधिक है वहां, वह अन्तरिम अनुतोष जिस पर समाचारपत्र स्थापन सहमत हो गया है, ऐसे श्रमजीवी पत्रकार के लिए दिया जाएगा, और सबधित श्रमजीवी पत्रकार, यथास्थिति, पैरा 1 या पैरा 2 मे की गई मजदूरी की दरो की वृद्धि का हकदार नही होगा ।

[स०वी०-24040(9)/75-डब्ल्यू० बी]

S.O 289(E)—Whereas the Central Government has in exercise of the powers conferred by section 13C of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955), constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No S O 1958 dated the 11th June, 1975, a Wage Boadr for the purpose of fixing or revising the rates of wages in respect of non-journalist newspaper employees,

And whereas the said Board continues to functions,

And whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to fix interim rates of wages in respect of non-journalist newspaper employees,

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A, read with section 13D, of the said Act, the Central Government, after consultation with the Board, hereby fixes the interim rates of wages in respect of non-journalist newspaper employees as set out in the Schedule hereto annexed.

THE SCHEDULE

1 The interim rates of wages payable in respect of non-journalist newspaper employees employed to do any work in, or in relation to, the classes of newspaper establishments, specified in column (1) of the Table below shall be the existing rates of wages increased by ad hoc payment of the amounts specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table.

THE TABLE

Classes of newspaper establishments	Amount of increase per month
(1)	(2)
	Rs. Ps.
Classes of daily newspapers and news agencies	
I to IV	85·00
V	50·00
VI	36·50
VII	23·00
Classes of weeklies and other periodicals	
I and II	85·00
III	50·00
IV	36·50
VI and VII	23·00

Explanation 1.—The expression "existing rates of wages" means basic wages and dearness allowance payable to non-journalist newspaper employees in terms of the recommendations made in Chapter IV of the report of the Wage Board for non-journalist employees of newspaper industry, constituted by the Government of India by Resolution No W-B-17(2)/63 dated the 25th February, 1974 (hereinafter referred to as the former Wage Board), as accepted by that Government by their Resolution No WB-17(7)/67 dated the 18th November 1967, subject to modifications, if any, in terms of the award of a Tribunal or memorandum of settlement, under the Industrial Disputes Act, 1947, or any other law for the time being in force, or the judgment of any court

Explanation 2.—Classification of daily newspapers news agencies, weeklies and other periodicals shall be as recommended by the former Wage Board, subject to modifications, if any by the award of any Tribunal or memorandum of settlement, under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) or any other law for the time being in force or the judgement of any court

2. Notwithstanding anything contained in paragraph 1, or the report of the former Wage Board and the Resolution of the Government of India No WB-17(7)/67 dated the 18th November, 1967, accepting the said report, the news agency known by the name and title "Samachar", shall be deemed to be a news agency of Class I and the said news agency shall pay, in respect of non-journalist newspaper employees doing any work in, or in relation to it, interim rates of wages payable by a news agency of Class I under the said paragraph.

3 Where any newspaper establishment has, either as a result of negotiations with its employees or otherwise, agreed to pay interim relief to non-journalist newspaper employees employed to do any work in or in relation to, such newspaper establishment, and such interim relief is related to the basic wages or to the dearness allowance, it shall be permissible, in relation to any period after the publication of this notification in the Official Gazette, to adjust the amount of such relief against the increases in the rates of wages made under paragraph 1.

Provided that where the interim relief agreed to be paid by any newspaper establishment in respect of any non-journalist newspaper employee, is in excess of the increase in the rates of wages made by paragraph 1, such interim relief

agreed to by the newspaper establishment shall be paid in respect of such non-journalist newspaper employee and the non-journalist newspaper employee concerned shall not be entitled to the increase in rates of wages made by paragraph 1.

[No F. V-24040/9/75-WB]
D BANDYOPADHYAY, Jt Secy.

का० आ० 289(अ) —केन्द्रीय सरकार ने, श्रम जीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्रकार कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 13ग द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1958, तारीख 11 जून, 1975 द्वारा समाचारपत्रो के गैर-पत्रकार कर्मचारियो के सबंध मे मजदूरी की दरों को नियत करने या पुनरीक्षित करने के प्रयोजनार्थ एक मजदूरी बोर्ड का गठन किया था ;

और उक्त बोर्ड बराबर अपना कार्य कर रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि समाचारपत्रो के गैर-पत्रकार कर्मचारियो की बाबत मजदूरी की अन्तरिम दरें निश्चित करना आवश्यक है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 13घ के साथ पठित 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् समाचार-पत्रों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए मजदूरी की अन्तरिम दरें, जैसी कि वे यहा उपाबद्ध अनुसूची मे दी गई है, नियत करती है ।

अनुसूची

नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) मे विनिर्दिष्ट वर्गों के समाचारपत्र स्थापनों मे, अथवा उनके संबंध मे, कोई कार्य करने के लिए नियोजित समाचारपत्रो के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए सन्देय मजदूरी की अन्तरिम दरे, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वृद्धि की रकमों के तदर्थ सदायों सहित, मजदूरी की विद्यमान दरे होगी ।

सारणी

समाचारपत्र स्थापन के वर्ग	प्रतिमास वृद्धि की दर	
(1)	(2)	
	रुपये	पैसे
दैनिक समाचारपत्रो और समाचार अभिकरणों के वर्ग		
1 से 4 तक	85.00	
5	50.00	
6	36.50	
7	23.00	
साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओ तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं के वर्ग		
1 और 2	85.00	
3	50.00	
4	36.50	
6 और 7	23 00	

स्पष्टीकरण 1.—"मजदूरी की विद्यमान दर" से ऐसी आधारिक मजदूरी और मंहगाई भत्ता अभिप्रेत है जो समाचारपत्रों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों को, समाचारपत्र उद्योग के गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए, संकल्प संख्या डब्ल्यू बी–17 (2)/63, तारीख 25 फरवरी, 1964 द्वारा भारत सरकार द्वारा, गठित मजदूरी बोर्ड की (जिसे इसमें इसके पश्चात् पहले का मजदूरी बोर्ड कहा गया है) रिपोर्ट के अध्याय 4 में दी गई सिफारिशों के अनुसार, जैसी कि वे उस सरकार के संकल्प सं० डब्ल्यू० बी०–17(7)/67, तारीख 18 नवम्बर, 1967 में उस सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है, किन्तु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन किसी अधिकरण के पंचाट, या व्यवस्थापन के ज्ञापन या अन्य किसी तत्समय प्रवृत्त विधि, या किसी न्यायालय के निर्णय, के अनुसार उपान्तरणों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, सन्देय होगा ।

स्पष्टीकरण 2.—दैनिक समाचारपत्रों, समाचार अभिकरणों, साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं का वर्गीकरण वह होगा जिसकी सिफारिश पहले के मजदूरी बोर्ड ने की है किन्तु वह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन किसी अधिकरण के पंचाट, या व्यवस्थापन के ज्ञापन, या अन्य किसी तत्समय प्रवृत्त विधि, या किसी न्यायालय के निर्णय द्वारा किए गए उपान्तरणों के, यदि कोई हो, अधीन होगा ।

2. पैरा 1 में, या पहले के मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट तथा भारत सरकार के संकल्प सं० डब्ल्यू० बी०–17(7)/67, तारीख 18 नवम्बर, 1967 में, जिसमें उक्त रिपोर्ट स्वीकृत की गई थी, किसी बात के होते हुए भी, "समाचार" के नाम और शीर्ष से ज्ञात समाचार अभिकरण वर्ग-1 का समाचार अभिकरण समझा जाएगा और उक्त समाचार अभिकरण, समाचारपत्रों के ऐसे गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए, जो उसमें, अथवा उसके संबंध में, कोई कार्य कर रहे है, उक्त पैरा के अधीन वर्ग-1 के किसी समाचार अभिकरण द्वारा सन्देय मजदूरी की अन्तरिम दरों का सन्दाय करेगा ।

3. जहां कोई समाचारपत्र स्थापन, या तो अपने कर्मचारियों से हुई बात-चीत के परिणाम-स्वरूप या अन्यथा, समाचारपत्रों के ऐसे गैर-पत्रकार कर्मचारियों को, जो उस समाचारपत्र स्थापन में, या उसके सम्बन्ध में, कोई कार्य करने के लिए नियोजित किए गए है, अन्तरिम अनुतोष देने के लिए सहमत हो गया है और ऐसे अनुतोष का संबंध आधारिक मजदूरी या महगाई भत्ते से है वहां, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् की किसी अवधि के संबंध में, ऐसे अनुतोष की रकम को पैरा 1 में की गई मजदूरी की दरों में वृद्धियों के विरुद्ध समायोजित कर लेना अनुज्ञेय होगा :

परन्तु जहां समाचारपत्र के किसी गैर-पत्रकार कर्मचारी के लिए कोई अन्तरिम अनुतोष, जिसे देने के लिए कोई समाचारपत्र स्थापन सहमत हो गया है, पैरा 1 में की गई मजदूरी की दरों में वृद्धि से अधिक है वहां, वह अन्तरिम अनुतोष, जिस पर समाचारपत्र स्थापन सहमत हो गया है, समाचारपत्र के ऐसे गैर-पत्रकार कर्मचारी के लिए दिया जाएगा और समाचारपत्र का सम्बन्धित गैर-पत्रकार कर्मचारी, पैरा 1 में की गई मजदूरी की दरों की वृद्धि का हकदार नहीं होगा ।

[सं० बी० 24040(9)/75-डब्ल्यू०बी]

डी० बन्द्योपाध्याय, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा।
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977